RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MH/MR/South-329/2013–15

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ५, अंक ३१] सोमवार, फेब्रुवारी १०, २०१४/माघ २१, शके १९३५ [पृष्ठे २०, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

सहकारिता, विपणन और वस्त्रोद्योग विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १६ जनवरी २०१४।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2014.

AN ORDINANCE
TO REGULATE THE TRANSACTIONS OF MONEY-LENDING IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ सन् २०१४।

महाराष्ट्र राज्य में साहूकारी के संव्यवहारों का विनियमन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य में साहूकारों के हाथों बढ़ते उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप किसानों द्वारा लगातार आत्महत्याएँ करने में बढ़ोत्तरी हो रही है ;

और क्योंकि साहूकारी पर विद्यमान अधिनियमितियाँ किसानों-ऋणकों का संरक्षण करने में और साहूकारों द्वारा किये जानेवाले उत्पीड़नसे उन्हें रोकने के लिए अपर्याप्त पायी गयी है।

और क्योंकि साहूकारों के हाथों से होनेवाले किसानों ऋणकों के उत्पीड़न को प्रभावी रूप से रोकने के लिए समुचित और मजबूत सामाजिक और कानूनी उपायों के लिए ऐसी परिस्थिति बनाना सही मायने में सरकार को आवश्यक हुआ है; अत: महाराष्ट्र राज्य में साहूकारों के संव्यवहारो के विनियमन और नियंत्रण के लिए बेहतर उपबंधोवाली एक नई विधि बनाना इष्टकर समझा गया है;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए एक नई विधि बनाने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) के परंतुक के अधीन राष्ट्रपति महोदय के अनुदेश प्राप्त किये गये हैं।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :---

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अध्यादेश, २०१४ कहलाये ।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएँ ।

२. इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(१) " बैंक " का तात्पर्य, ऐसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक से है जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ लागू होता है और इसमें,---- सन् १९४९ का १०।

(क) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, १९५५ के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ; सन् १९५५ का २३।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, १९५९ में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक ; सन् १९५९ का ३८।

(ग) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९७०, या, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९८० के अधीन गठित तत्समान नई बैंक ; और सन् १९७० का ५। सन् १९८० का ४०।

(घ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ५१ में निर्दिष्ट किसी अन्य बैंककारी कंपनी से है। सन् १९४९ का १०।

(२) बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ५ के खंड (ग) में निर्दिष्ट यथा समनुदेशित अर्थान्तर्गत " बैंककारी कंपनी " से है ; सन् १९४९ का १०।

(३) " साहूकारी का कारोबार " का तात्पर्य, अग्रिम कर्ज, चाहे वह नगद या वस्तुरूप में हो और चाहे वह किसी अन्य कारोबार से संबंधित या के अतिरिक्त हो या न हो, देने के कारोबार से है ;

(४) " पूंजी " का तात्पर्य, ऐसी धन-राशि से है जिसे साहूकारी के कारोबार में साहूकार निवेश करता है ;

(५) " कंपनी " का तात्पर्य, कंपनी अधिनियम, १९५६ या कम्पनी अधिनियम, २०१३ में यथा परिभाषित कंपनी से है ; सन् १९५६ का १। सन् २०१३ का १८।

(६) " सहकारी बैंक " " सहकारी संस्था " बहूउद्देशीय सहकारी संस्था और प्राथमिक क्रेडिट संस्था का तात्पर्य, बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ५६ के खंड (ग) द्वारा उन्हे यथा समनुदेशित अर्थान्तर्गतसे है ; सन् १९४९ का १०।

(७) " कर्जदार " का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जिसे चाहे नगद या वस्तुरुप में अग्रिम कर्ज दिया गया है और इसमें ब्याज या प्रतिभूति में उसका उत्तराधिकारी शामिल होगा ;

(८) " निरीक्षण फीस " का तात्पर्य, साहूकारों की लेखा बहियों के निरीक्षण के संबंध में धारा १२ के अधीन उद्ग्रहणीय फीस से है ;

(९) " ब्याज " में, कर्ज के संबंध में प्रतिफलस्वरूप या अन्यथा साहूकार को मूल धन के अतिरिक्त अदा की गई या देय कोई रकम, चाहे जिस नाम से भी पुकारा जाए सम्मिलित होगी, किन्तु इसमें इस अध्यादेश के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसरण में, साहूकार द्वारा लागत, प्रभार या खर्च के लिए या के संबंध में विधिपूर्वक प्रभारित कोई रकम इसमें शामिल नहीं होगी ;

(१०) " कारोबार में निवेश " का तात्पर्य, साहूकार द्वारा साहूकारी के कारोबार में समय-समय पर निवेश की गई कुल रकम से है ;

(११) " लाइसेंस " का तात्पर्य, इस अध्यादेश के अधीन अनुदत्त किये गये लाइसेंस से है ;

(१२) " लाइसेंस फीस " का तात्पर्य, लाइसेंस के बारे में देय फीस से है ;

(१३) " कर्ज " का तात्पर्य, ब्याज पर, चाहे धन या वस्तुरूप में दिये जानेवाले अग्रिम से है, किन्तु, इसमें,—

(क) सरकारी डाकघर, बैंक या किसी अन्य बैंक में या किसी कम्पनी या सहकारी संस्था में धन या अन्य सम्पत्ति जमा करना ;

सन् १८६० का २१।

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० या सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त उद्देश्य से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था या संघ को या के द्वारा या के पास जमा कोई कर्ज ;

(ग) सरकार द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया अग्रिम कर्ज ;

(घ) सरकारी कर्मचारियों के कल्याण या सहायता के लिए स्थापित निधि में से सरकारी कर्मचारियों को दिया गया और राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया अग्रिम कर्ज ;

(ङ) किसी सहकारी संस्था के पास धन जमा करना या द्वारा दिया गया अग्रिम कर्ज ;

(च) भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता को या जमाकर्ता को निधि के नियमों के अनुसार निधि में उसके नाम जमा रकम में से दिया गया अग्रिम ;

सन् १९३८ का ६।

(छ) बीमा अधिनियम, १९३८ में यथा परिभाषित बीमा कंम्पनी को या के द्वारा दिया गया कर्ज ;

(ज) बैंक को या के द्वारा दिया गया कर्ज ;

(झ) उस अधिनियम के अनुसरण में कोई कर्ज या अग्रिम अनुदत्त करनेवाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित किसी निगम (जो ऐसी निकाय हो जो इस खण्ड के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन न आती हो) को या के द्वारा दिया गया या के पास जमा कर्ज ;

सन् १८८१ का २६।

(ञ) वचनपत्र से अन्य, परक्राम्य लिखत अधिनियम, १८८१ में यथा परिभाषित परक्राम्य लिखत के आधार पर दिया गया तीन हजार रुपये से अधिक किसी रकम का अग्रिम ;

(ट) **हुंडी** के आधार पर दिया गया (अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा में लिखित) तीन हजार रुपये से अधिक किसी रकम का अग्रिम ;

(ठ) कोई कारोबार चलानेवाले किसी व्यक्ति द्वारा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य साहूकारी करने का नहीं है, **सद्भावपूर्वक** दिया गया अग्रिम, यदि ऐसा अग्रिम उसके कारोबार के नियमित अनुक्रम में दिया गया है ;

(ड़) धारा २९ और ३१ के प्रयोजनों के सिवाय,----

(एक) किसी भू-स्वामी द्वारा उसके अभिधारी को फसल के वित्तपोषण या मौसमी वित्तपोषण के लिये अभिधारी द्वारा धारण की गई भूमि के प्रति एकड़ १,००० रूपये से अनधिक का कर्ज ;

(दो) कृषक श्रमिक को उसके नियोक्ता द्वारा दिया गया अग्रिम कर्ज इसमें शामिल नहीं होगा ;

स्पष्टीकरण .— " अभिधारी " पद का वही तात्पर्य होगा जो, महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, या कृषि भूमियों की अभिधृति से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत अभिधृति विधि में उसके लिए समनुदेशित किया गया है और "फसल का वित्तपोषण" और " मौसमी वित्तपोषण " का वही तात्पर्य होगा, जो महाराष्ट्र कृषि ऋणी राहत अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है ; सन् १९४८ का बम्बई ६७। सन् १९४७ का बम्बई २८।

(१४) " साहूकार " का तात्पर्य,—

(एक) किसी व्यक्ति ; या

(दो) अविभक्त हिन्दू कुटुंब ; या

(तीन) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ अध्याय ३ख के अधीन विनियमित गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी से अन्य कंपनी ; सन १९३४ का २।

(चार) व्यष्टियों के अनिगमित निकाय से है, जो वह—

(क) राज्य में साहूकारी का कारोबार करता या करते हैं ; या

(ख) जिनका राज्य में ऐसे कारोबार का अपना मूल स्थान है ; और इसमें पणयम-दलाल सम्मिलित होंगे, किन्तु इसमें —

(एक) सरकार ;

(दो) स्थानीय प्राधिकरण ;

(तीन) बैंक ;

(चार) सहकारी बैंक ;

(पाच) बहुउदेशीय सहकारी बैंक ;

(छह) गैर बैंककारी वित्त कंपनी ;

(सात) प्राथमिक प्रलय बैंक ;

(आठ) प्रादेशिक ग्रामिण बैंक ;

(नऊ) भारतीय रिजर्व बैंक ;

(दस) कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, १९६३ के अधीन गठित कृषि पुनर्वित्त निगम ; या सन् १९६३ का १०।

(ग्यारह) कोई अन्य बैंककारी या वित्तीय संस्था शामिल नहीं होंगी जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(१५) " पणयम-दलाल " का तात्पर्य, ऐसे साहूकार से है, जो सामान्यत: अपने कारोबार के अनुक्रम में अग्रिम के रूप में कर्ज देता है और ऐसे कर्ज की अदायगी के लिए प्रतिभूति के रूप में पणयम में माल लेता है ;

(१६) " विहित " का तात्पर्य, इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(१७) कर्ज के संबंध में " मूल " का तात्पर्य, कर्जदार को वास्तव में अग्रिम दी गयी रकम से है, चाहे वह नगद या वस्तु रूप में हो ;

(१८) "प्रादेशिक ग्रामिण बैंक" का तात्पर्य, प्रादेशिक ग्रामिण बैंक अधिनियम, १९७६ की धारा ३ के स्थापित बैंक से है ; सन् १९७६ का २१।

(१९) बृहन्मुंबई के संबंध में " मान्यताप्राप्त भाषा " का तात्पर्य, मराठी या हिन्दी और अन्यत्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त भाषा से है ;

(२०) " रजिस्टर " का तात्पर्य, धारा ७ के अधीन बनाये रखे गये साहूकारों के रजिस्टर से है ;

(२१) " महा रजिस्ट्रार " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये साहूकारी महा रजिस्ट्रार से है ;

(२२) " नियम " का तात्पर्य, इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों से है ;

(२३) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(२४) " वाद जिसे यह अध्यादेश लागू होगा " का तात्पर्य, साहूकार और कर्जदार या उसके उत्तराधिकारी के बीच इस अध्यादेश के प्रारम्भण के पूर्व या के बाद अग्रिम कर्ज संबंधी किसी वाद से है ;

(२५) " व्यापारी " का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है, जो, कारोबार के नियमित अनुक्रम में मालों या अन्य संपत्ति की खरीद तथा बिक्री करता है, चाहे जंगम हो या स्थावर हो, और इसमें,—

(एक) थोक या खुदरा व्यापारी,

(दो) कमिशन एजंट,

(तीन) दलाल,

(चार) उत्पादक,

(पाँच) संविदाकार,

(छह) कारखाना मालिक सम्मिलित होंगे,

किन्तु, इसमें कारीगर या ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा, जो कृषि उपज या मवेशी का विक्रय करता है या अपने उपयोग के लिए कृषि उपज या मवेशी की खरीद करता है।

स्पष्टीकरण.— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, " कारीगर" का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जो ठीक पूर्ववर्ती बारह महीने के किसी एक दिन, उत्पादन प्रक्रिया में दस से अधिक कर्मकारों को रोजगार नहीं देता है।

महा रजिस्ट्रार और उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति।

३. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, महा साहूकार रजिस्ट्रार और ऐसी संख्या में प्रभागीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकेगी जैसा वह उचित समझें।

(२) महा रजिस्ट्रार की संपूर्ण राज्य में अधिकारिता होगी। प्रभागीय रजिस्ट्रार की उसके संपूर्ण प्रभाग में अधिकारिता होगी, जिला रजिस्ट्रार की संपूर्ण जिले में अधिकारिता होगी और सहायक रजिस्ट्रार की जिले के ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता होगी जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी। प्रभागीय रजिस्ट्रार, महा रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे, जिला रजिस्ट्रार, प्रभागीय रजिस्ट्रार, के अधीनस्थ होंगे और सहायक रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे ।

साहूकार जिस क्षेत्र के लिए उसे लाईसेंस प्रदान किया गया है उसे छोड़कर और ऐसे लाइसेंस के निबंधनों के अनुसरण को छोड़कर साहूकारी का कारोबार नहीं करेगा।

४. कोई भी साहूकार, जिस क्षेत्र के लिए उसे लाइसेंस अनुदत्त किया गया है उसे छोड़कर और ऐसे लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के अनुसरण को छोडकर साहूकारी का कारोबार नहीं करेगा ।

लाइसेंस के लिए आवेदन।

५. (१) प्रत्येक साहूकार, प्रत्येक वर्ष, ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा कि विहित किया जाये, उस क्षेत्र के, जिसकी सीमा के भीतर, वह स्थान स्थित है, जहाँ वह साहूकारी करता है या साहूकारी कारोबार करने का आशय रखता है, सहायक रजिस्ट्रार को लाइसेंस अनुदत्त करने के लिए विहित प्ररूप में लाइसेंस देने के लिए आवेदन करेगा । जब वह एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार करता है या करने का आशय रखता है वहाँ ऐसे प्रत्येक स्थान के संबंध में ऐसे सहायक रजिस्ट्रार को एक अलग आवेदन किया जायेगा । ऐसे आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ शामिल होंगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे साहूकार का सही नाम, जिसमें वह साहूकारी करने का इरादा करता है और उसका प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार प्रस्तावित व्यक्ति का सही नाम ;

(ख) यदि आवेदन द्वारा या की और से किया जा रहा हो,—

(एक) किसी व्यक्ति द्वारा या की ओर से किया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति का सही नाम और पता ;

(दो) अविभक्त हिन्दू कुटुंब द्वारा या की ओर से किया जा रहा है तो ऐसे परिवार प्रबंधक और प्रौढ़ सहदायिक का सही नाम और पता ;

(तीन) कंपनी द्वारा या की ओर से किया जा रहा है तो, उसके निदेशक, प्रबंधक या उसका प्रबंध करनेवाले प्रधान अधिकारी का सही नाम और पता ;

(चार) अनिगमित व्यष्टि निकाय द्वारा या की ओर से किया जा रहा है तो, ऐसे व्यष्टियों के सही नाम और पता ;

(ग) राज्य में साहूकारी के कारोबार के क्षेत्र और स्थान या मुख्य स्थान ;

(घ) राज्य में उस किसी अन्य स्थान का नाम जहाँ साहूकारी का कारोबार करने का इरादा है ;

(ङ) चाहे आवेदन पर हस्ताक्षर करनेवाला व्यक्ति स्वंय या अविभक्त हिन्दू कुटुंब का कोई वयस्क सदस्य, या कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक या प्रधान अधिकारी या अनिगमित निकाय का कोई सदस्य है जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाता है या, यथास्थिति, आवेदन करने के ठीक पूर्व ३१, मार्च का समाप्त होनेवाले वर्ष में या तो व्यक्तिगत रूप से या साझेदारी में या किसी अन्य सहदायिक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से और चाहे उसी नाम या किसी अन्य नाम से राज्य में साहूकारी का कारोबार करता है ;

(च) वह कुल रकम, जिसे ऐसा व्यक्ति उस वर्ष में, जिसके लिए उसने आवेदन किया गया है, साहूकारी के कारोबार में निवेश करने का इरादा रखता है ;

(छ) यदि वह स्थान जहाँ साहूकारी का कारबार किया जाना है, एक से अधिक हैं तो ऐसे प्रत्येक स्थान पर कारोबार का प्रबंध करनेवाले व्यक्तियों के सही नाम ।

(२) आवेदन, लिखित में और हस्ताक्षरित में किया जायेगा,—

(क) (एक) यदि किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाता है, तो व्यक्ति द्वारा ;

(दो) यदि आवेदन अविभक्त हिन्दू कुटुंब की ओर से किया गया है तो ऐसे कुटुंब के प्रबंधक द्वारा ;

(तीन) यदि आवेदन, कंपनी या अनिगमित निकाय द्वारा किया गया है तो कारबार के प्रबंध निदेशक या उसके प्रमुख स्थान का नियंत्रण रखनेवाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ख) स्वयं साहूकार व्यक्ति, या कुटुंब या कंपनी या, यथास्थिति, निगमित निकाय द्वारा, मुख्तारनामे द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

(३) आवेदन में, ऐसी अन्य विशिष्टियाँ भी अन्तर्विष्ट की जायेगी, जैसा कि विहित किया जाए।

(४) प्रत्येक आवेदन, विहित की गई लाइसेंस फीस के साथ किया जायेगा।

(५) इस धारा के अधीन देय फीस विहित रीत्या अदा की जायेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि आवेदन वापस ले लिया गया है या तत्पश्चात् खारिज कर दिया गया है वापस नहीं की जायेगी।

लाइसेंस अनुदत्त करना और रजिस्टर में प्रविष्टि।

६. (१) धारा ५ के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, सहायक रजिस्ट्रार, आवेदक की वास्तविकता और आचरण के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक जाँच करेगा और अपनी रपट के साथ जिला रजिस्ट्रार को आवेदन अग्रेषित करेगा। इस अध्यादेश के उपबंधों के अध्यधीन, जिला रजिस्ट्रार, आगे ऐसी जाँच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह उचित समझे, आवेदक को ऐसे प्ररूप में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन लाइसेंस अनुदत्त कर सकेगा जैसा कि विहित किया जाये और सहायक साहूकार रजिस्ट्रार को धारा ७ के अधीन उसके द्वारा बनाये रखे गये रजिस्ट्रर में ऐसे आवेदक का नाम प्रविष्ट करने का निदेश देगा :

परन्तु, जिला रजिस्ट्रार, अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित **ग्रामसभा** और **पंचायत** से और जहाँ लाइसेंस का क्षेत्र एक से अधिक **ग्रामसभा** या **पंचायत** तक विस्तारित होता है वहाँ उन संबंधित सभी **ग्रामसभा** और **पंचायत समिति** से परामर्श करने के बाद, जिसकी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर साहूकार साहूकारी का कारोबार करता है या करने का इरादा रखता है ऐसा लाइसेंस अनुदत्त करेगा :

परन्तु आगे यह कि, उपर्युक्त किसी भी मामले में संकल्प पारित कर संबंधित **ग्रामसभा** के बहुमत द्वारा लिया गया विनिश्चय संबंधित **पंचायत समिति** पर बाध्यकारी होगा ।

स्पष्टीकरण.---- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,----

सन् १९५९ का ३।

(एक) " **ग्रामसभा** ", " **पंचायत** " और " **अनुसूचित क्षेत्र** " पद का तात्पर्य, वही होगा जो महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित किये गये है ;

सन् १९६२ का महा. ५।

(दो) " **पंचायत समिति** " पद का तात्पर्य, वही होगा जो महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में उसके लिए समनुदेशित किया गया है।

साहूकार का रजिस्टर।

७. प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रार, अपनी अधिकारिता क्षेत्र के लिए ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाये साहूकारों का रजिस्टर बनाये रखेगा।

लाइसेंस जारी करने से इन्कार करना।

८. (१) निम्नलिखित किन्हीं आधारों को छोड़कर लाइसेंस अनुदत्त करने से इनकार नहीं किया जायेगा :----

(क) कि आवेदक या साहूकार के रूप में उसके कारोबार के प्रबंध के लिए जिम्मेदार या जिम्मेदारी के लिए प्रस्तावित कोई व्यक्ति लाइसेंस धारण करने से निरर्ह किया गया है ;

(ख) कि आवेदक ने लाइसेंस अनुदत्त करने के लिए आवेदन के संबंध में इस अध्यादेश के उपबंधों या नियमों का अनुपालन नहीं किया है ;

(ग) कि आवेदक ने इस अध्यादेश की किन्हीं अपेक्षाओं के अनुपालन में जानबूझकर चूक की है या का जानबूझकर उल्लंघन किया है ;

(घ) कि जिला रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसे समाधानकारक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदक या साहूकारी के कारोबार के प्रबंध के लिए जिम्मेदार या जिम्मेदारी के लिए प्रस्तावित किसी व्यक्ति ने,----

(एक) साहूकारी के कार्य में या कारोबार के संबंध में जानबूझकर किसी कपट में या अप्रामाणिकता में भाग लिया है या की मौनानुमति दी है ; या

सन् १८६० का ४५।

(दो) भारतीय दंड संहिता के अध्याय **सत्रह** या अध्याय **अठारह** की धारा ४६५, ४७७ या ४७७-क ५ के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया गया है।

(२) रजिस्ट्रार, उप-धारा (१) के अधीन लाईसेंस देने से इन्कार करने से पूर्व, आवेदक को आवेदन के समर्थन में साक्ष्य यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का और यह कारण दर्शाने का कि क्यों लाइसेंस देने से इन्कार नहीं किया जाये, युक्तियुक्त अवसर देगा ; और उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य और ऐसे इन्कार के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

(३) उप-धारा (१) के अधीन लाईसेंस देने से इन्कार करने के जिला रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध अपील प्रभागीय रजिस्ट्रार को की जायेगी, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(४) उप-धारा (१) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध अपील विनिश्चय के दिनांक से तीन माह के भीतर दाखिल की जा सकेगी :

परंतु, यदि प्रभागीय रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को उसके नियंत्रण से परे कारणों के लिए तीन महीने की अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से रोका गया था तो, वह अभिलिखित कारणों के लिए, उप-धारा (१) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के विनिश्चय के दिनांक से तीन महीने की अवधि के अवसान के बाद अपील पर विचार कर सकेगा।

महा रजिस्ट्रार की पुनरीक्षण करने की शक्तियाँ।

९. महा रजिस्ट्रार **स्वप्रेरणा से** या आवेदन पर, ऐसी किसी जाँच या किसी मामले की कार्यवाहियों का अभिलेख परीक्षण के लिए माँग सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा, जहाँ उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है या विनिश्चय दिया गया है और विनिश्चय या आदेश की वैधता और औचित्य के बारे में और कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है। यदि ऐसी जाँच के दौरान महारजिस्ट्रार का समाधान होता है कि इस प्रकार दिया गया विनिश्चय या आदेश उपान्तरित, बातिल किया जाना या उलटना चाहिये तो वह, उससे प्रभावित हो सकनेवाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो उसे न्यायोचित प्रतीत हो।

लाइसेंस की अवधि।

१०. लाईसेंस, जिस दिनांक को अनुदत्त किया गया है उस दिनांक से आगामी ३१ मार्च तक वैध होगा :

परन्तु, जहाँ विहित अवधि के भीतर लाइसेंस के नवीकरण के लिए कोई आवेदन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ आवेदन का अंतिम रूप से निपटान होने तक, लाईसेंस वैध समझा जायेगा।

लाइसेंस रद्द करने की जिला रजिस्ट्रार की शक्ति।

११. (१) जिला रजिस्ट्रार, किसी लाइसेंस की अवधि के दौरान, इस आधार पर लिखित आदेश द्वारा उसे रद्द कर सकेगा कि जिस व्यक्ति को वह अनुदत्त किया गया था वह ऐसे किसी कृत्य या आचरण के लिए दोषी है जिस के लिए वह धारा ८ के अधीन उसे लाईसेंस अनुदत्त करने से इन्कार कर सकता है और जो कृत्य या आचरण लाईसेंस अनुदत्त करते समय उसके निदर्शन में नहीं लाया गया था।

(२) उप-धारा (१) के अधीन लाईसेंस रद्द करने से पूर्व जिला रजिस्ट्रार, लाईसेंसधारी को लिखित में सूचना देगा और ऐसी जाँच कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(३) उप-धारा (१) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के लाईसेंस रद्द करनेवाले आदेश के विरुद्ध अपील प्रभागीय रजिस्ट्रार को की जायेगी जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(४) उप-धारा (१) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर दाखिल की जा सकेगी :

परन्तु, यदि प्रभागीय रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को उसके नियंत्रण से परे कारणों के लिए तीन महीने की अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से रोका गया था तो, वह अभिलिखित कारणों के लिए, उप-धारा (१) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के आदेश के दिनांक से तीन महीने की अवधि के अवसान के बाद अपील पर विचार कर सकेगा।

निरीक्षण फीस का उद्ग्रहण।

१२. (१) लाईसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करनेवाले साहूकार पर धारा ५ के अधीन उद्ग्रहणीय लाइसेंस फीस के अतिरिक्त निरीक्षण फीस, लाईसेंस का नवीकरण चाहे जाने की अवधि के दौरान उसके द्वारा उपयोग में लाये गये अधिकतम निवेश के एक प्रतिशत या एक सौ रुपये, जो भी अधिक हो की दर पर उद्ग्रहित की जायेगी।

(२) उप धारा (१) के अधीन निरीक्षण फीस जब तक अदा नही की जाती तब तक लाइसेन्स के नवीकरण के लिए किसी आवेदन को मंजूरी नही दी जाएगी।

स्पष्टीकरण .—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अधिकतम पूंजी " का तात्पर्य, पूंजी राशि की ऐसी अधिकतम कुल रकम से है जो लाईसेंस अवधि के दौरान किसी दिन साहूकारी कारोबार में विनिहित बची है।

लाईसेंस धारण न करनेवाले साहूकारों द्वारा वाद।

१३. (१) कोई भी न्यायालय, किसी वाद में साहूकार के पक्ष में तब तक कोई डिक्री पारित नहीं करेगा जब तक न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता है कि कर्ज या उसका कोई भाग जिससे वाद संबंधित है, दिये जाने के समय साहूकार ने वैध लाईसेंस धारण किया था और यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि साहूकार ने वैध लाईसेंस धारण नहीं किया था तो वह वाद खारिज कर देगा।

(२) इस धारा की कोई भी बात, साहूकार की संपत्ति की उगाही करने के लिए, प्रतिपाल्य-अधिकरण, या शासकीय समनुदेशिती, प्रापक, प्रशासक या प्रेसिडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम, १९०९, या प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, १९२० या उस अधिनियम के तत्स्थानी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यायालय या कंपनी अधिनियम, १९५६ के अधीन समापक की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी।

सन् १९०९ का ३।
सन् १९२० का ५।
सन् १९५६ का १।
सन् २०१३ का १८।

लाईसेंस रद्द करने के लिए आवेदन।

१४. (१) कोई भी व्यक्ति, लाईसेंस की विधिमान्यता के दौरान साहूकार को जारी किये गए लाईसेंस को इस आधार पर रद्द करने के लिए जिला रजिस्ट्रार के पास आवेदन दाखिल कर सकेगा कि ऐसा साहूकार ऐसे किसी कार्य या आचरण का दोषी है जिसके लिए जिला रजिस्ट्रार धारा ८ के अधीन उसे लाईसेंस अनुदत्त करने से इन्कार कर सकता है। उक्त व्यक्ति अपना आवेदन दाखिल करते समय ऐसी रकम जो १०० रुपये से अनधिक होगी जमा करेगा, जैसा जिला रजिस्ट्रार उचित समझे ।

(२) ऐसे आवेदन या निक्षेप या धारा १६ के अधीन कार्य करनेवाले किसी अधिकारी से उस प्रभाव की रपट की प्राप्ति पर, जिला रजिस्ट्रार, जाँच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि साहूकार ऐसे कृत्य या आचरण का दोषी है तो वह साहूकार का लाईसेंस रद्द कर सकेगा और उप-धारा (१) के अधीन किये गये निक्षेप को वापस करने के निदेश भी दे सकेगा।

(३) यदि जिला रजिस्ट्रार की राय में उप-धारा (१) के अधीन किया गया आवेदन तुच्छ या तंग करनेवाला है तो वह, उप-धारा (१) के अधीन जमा की गई रकम में से ऐसी रकम साहूकार को अदा करने के निदेश दे सकेगा जैसा वह प्रतिभूति के रूप में उचित समझे।

महा रजिस्ट्रार और उसके अधीनस्थों को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

१५. धाराएँ ६ और १६ के प्रयोजनों के लिए, महा रजिस्ट्रार, प्रभागीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और धारा १६ के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को ; और धारा १४ के प्रयोजनों के लिए जिला रजिस्ट्रार को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी और उनका प्रयोग कर सकेंगे जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती है :----

सन् १९०८ का ५।

(क) किसी भी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेज और सारवान उद्देश्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना ;

(ग) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ; और

(घ) शपथपत्र द्वारा तथ्य का सबूत देना।

अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियाँ।

१६. यह सत्यापित करने के प्रयोजन के लिये, साहूकारी का कारोबार इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसरण में किया गया है या नहीं किया गया है महारजिस्ट्रार, प्रभागीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी साहूकार या ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसके संबंध में महारजिस्ट्रार, प्रभागीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह राज्य में साहूकारी का कारोबार कर रहा है, उसके कब्जे के किसी अभिलेख या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उस प्रयोजन से सुसंगत है और तत्पश्चात् ऐसा साहूकार या व्यक्ति ऐसे अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। महारजिस्ट्रार, प्रभागीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, उचित सूचना देने के बाद किसी भी उचित समय पर किसी भी परिसर में वारंट बिना प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा जहाँ उसका यह विश्वास है कि ऐसा अभिलेख या दस्तावेज रखे गये हैं और ऐसे अभिलेख या दस्तावेजों का निरीक्षण करेगा और ऐसे अभिलेख का अर्थ लगाने या सत्यापित करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा।

वैध लाइसेंस के बिना साहूकारी कारोबार करने वाले साहूकार के पास गिरवी रखी हुई संपत्ति का निपटान।

१७. (१) यदि धारा १६ के अधीन बनाये गये अभिलेख तथा दस्तावेजों के निरीक्षण पर, निरीक्षण अधिकारी का समाधान होता है कि वैध लाइसेंस के बिना साहूकारी का कारोबार करने के दौरान साहूकार द्वारा अग्रिम दिए गए कर्ज के लिए ऋणी द्वारा प्रतिभूति के रूप में उसके पास गिरवी रखी गई संपत्ति साहूकार के कब्जे में है तो, निरीक्षण अधिकारी ऐसी संपत्ति का कब्जा तत्काल उसे परिदत्त करने के लिए साहूकार से अपेक्षा करेगा।

(२) उसे ऐसी संपत्ति परिदत्त किये जाने पर, निरीक्षण अधिकारी, यदि वह जिला रजिस्ट्रार नहीं है तो, उसे जिला रजिस्ट्रार को सौंपेगा और जिला रजिस्ट्रार (जब वह निरीक्षण अधिकारी भी है) तो वह इसमें आगे उपबंधित रीत्या निपटान के लिए उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(३) उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के अधीन संपत्ति परिदत्त किये जाने पर, जिला रजिस्ट्रार, उसकी सम्यक् सत्यापना और पहचान करने के बाद, उसे उस ऋणी को, जिसने उसे गिरवी रखा है या, जहाँ ऋणी की मृत्यु हो जाती है तो उसके ज्ञात वारिसों को वापस देगा।

(४) यदि ऋणी या उसके ज्ञात वारिस का पता लगाया नहीं जा सका तो जिला रजिस्ट्रार, संपत्ति का कब्जा लेने के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर, विहित रीत्या उसके लिए दावा माँगते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। यदि, उक्त अवधि के अवसान के पूर्व, चाहे सूचना के जवाब में या अन्यथा दावा प्राप्त होता है तो, वह ऐसे दावे को न्यायनिर्णित करेगा और विनिश्चय करेगा। यदि जिला रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि कोई दावा वैध है, तो वह उसका दावा करनेवाले व्यक्ति को उसके लिए रसीद देने पर संपत्ति का कब्जा सौंपेगा; और संपत्ति का दावा करनेवाले व्यक्ति को उसका ऐसा परिदान जिला रजिस्ट्रार को किसी अन्य व्यक्ति के ऐसी संपत्ति के संबंध में उसके दायित्व से मुक्त कर देगा। यदि दावा नकारा जाता है तो संपत्ति राज्य सरकार के पास समपहृत रहेगी।

(५) जहाँ ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा (उसकी पहचान समेत) किसी कारण के लिए उसे परिदत्त नहीं किया जा सका है तो यदि ऐसा ऋणी या, यथास्थिति, उसका वारिस संपत्ति का दावा करता है तो उस साहूकार से, जिसके पास वह गिरवी रखी गई थी, ऋणी को या यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके ज्ञात वारिसों को ऐसी संपत्ति का मूल्य अदा करने की अपेक्षा की जायेगी। यदि साहूकार मूल्य अदा करने में विफल रहता है तो वह, उससे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी; और मूल्य की वसूली पर, वह उस ऋणी को, जिसने ऐसी संपत्ति गिरवी रखी थी या, यथास्थिति, वारिस को परिदत्त की जायेगी।

(६) यदि साहूकार और ऋणी या, यथास्थिति, उसके वारिस के बीच संपत्ति मूल्य या उसकी पहचान के प्रश्न पर मतभेद होता है, तो प्रश्न विनिश्चय के लिए प्रभागीय रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जायेगा और प्रश्न पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(७) संपत्ति का मूल्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किये गये विशेषज्ञों की सेवाओं की सहायता से अवधारित किया जा सकेगा। विशेषज्ञ को ऐसा मानदेय अदा किया जा सकेगा जैसा राज्य सरकार या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंध में समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा उसके द्वारा नियुक्त तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी अवधारित करे।

साहूकारी के दौरान अर्जित की गई स्थावर संपत्ति की वापसी।

१८. (१) यदि, धारा १६ के अधीन सत्यापन या धारा १७ के अधीन निरीक्षण के दौरान प्रकट तथ्यों के आधार पर या किसी ऋणी के आवेदन पर या अन्यथा द्वारा जिला रजिस्ट्रार का यह विश्वास करने का कारण होता है कि सत्यापन या निरीक्षण के दिनांक से या ऋणी से आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर विक्रय, बंधक, पट्टे पर, विनियमन या अन्यथा के रूप में साहूकार के कब्जे में आई कोई स्थावर सम्पत्ती साहूकारी का कारोबार करते समय साहूकार द्वारा अग्रिम दिए कर्ज के लिए प्रतिभूति के रूप में साहूकार को ऋणी द्वारा प्रस्तुत की गई सम्पत्ति है तो जिला रजिस्ट्रार स्वयं या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये जानेवाले किसी जाँच अधिकारी के जरिए, विहित रीत्या संव्यवहार के स्वरूप की आगे जाँच करेगा।

(२) यदि, उप-धारा (१) के अनुसार जाँच करने पर जिला रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि स्थावर सम्पत्ति साहूकार के कारोबार के दौरान साहूकार द्वारा अग्रिम दिए गए कर्ज की प्रतिभूति के रूप में साहूकार के कब्जे में आई है तो जिला रजिस्ट्रार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कारणों को अभिलिखित करने के बाद, हस्तांतरण लिखत अवैध घोषित करेगा और उस ऋणी को, जिसने प्रतिभूति के रूप में लिखत या हस्तांतरण निष्पादित किया है या उसके वारिस या, यथास्थिति, उत्तराधिकारी को सम्पत्ति के कब्जे के प्रत्यावर्तन का आदेश दे सकेगा।

(३) उप-धारा (२) के अनुसार कोई आदेश पारित करने या निर्णय देने से पूर्व जिला रजिस्ट्रार संबंधित व्यक्ति को उसे सूचना की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर अपने आक्षेपों को बताने, यदि कोई हो, का और यदि वह ऐसा चाहता है तो व्यक्तिगत सुनवाई का भी युक्तियुक्त अवसर देगा।

(४) उप-धारा (२) के अधीन जिला रजिस्ट्रार के आदेश या निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश या निर्णय के दिनांक से एक महीने के भीतर प्रभागीय रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा :

परन्तु, यदि अपीलकर्ता प्रभागीय रजिस्ट्रार का यह समाधान करता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था तो वह एक महीने की अवधि के अवसान के बाद, अपील दाखिल कर सकेगा।

(५) उप-धारा (४) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील में प्रभागीय रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

(६) उप-धारा (४) के अधीन उपबंधित अपील के अध्यधीन, उप-धारा (२) के अधीन जिला रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश या दिया गया निर्णय पर्याप्त रूप से हस्तांतरणीय होगा और महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भू-अभिलेखों को बनाए रखने संबंधी कार्य सौंपे गये प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि अपने अभिलेखो में ऐसे आदेशों को प्रभावी करे।

सन १९६६ का महा. ४१।

लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की न्यायालय की शक्ति।

१९. (१) (एक) इस अध्यादेश के अधीन अपराध के लिए साहूकार के विरुद्ध दोषसिध्दि का आदेश पारित करनेवाला न्यायालय, या

(दो) वाद का विचारण करनेवाले न्यायालय का, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साहूकार ने इस अध्यादेश के उपबंधों या नियमों का ऐसा उल्लंघन किया है जो उसकी राय में उसे साहूकारी करने के लिए उसे अनुपयुक्त बनाता है, तो वह,—

(क) यह आदेश दे सकेगा कि राज्य में ऐसे साहूकार द्वारा धारण किये हुए समस्त लाइसेंस ऐसे समय के लिए रद्द या निलंबित किये जायें, जैसा वह उचित समझे, और

(ख) यदि उचित समझे तो ऐसे किसी साहूकार को, या यदि साहूकार अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब, कंपनी या अनिगमित निकाय है तो ऐसे कुटुम्ब, कंपनी या निकाय और ऐसे कुटुम्ब, कंपनी या निकाय द्वारा की जानेवाली साहूकारी के प्रबंध के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति को भी, ऐसे समय के लिए राज्य में कोई लाइसेंस धारित करने से निरर्ह घोषित कर सकेगा, जैसा न्यायालय उचित समझे :

परन्तु, जहाँ किसी साहूकार द्वारा धारित कोई लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाता है या इस धारा के अधीन किसी साहूकार को कोई लाइसेंस धारण करने से निरर्ह किया जाता है वहाँ वह ऐसे आदेश के विरुद्ध उस न्यायालय में अपील कर सकेगा, जिसे सामान्यत: आदेश पारित करनेवाले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है, और वह न्यायालय जिसने आदेश पारित किया था या अपील न्यायालय, यदि उचित समझे अपील का निर्णय होनेतक इस धारा के अधीन आदेश का प्रवर्तन स्थगित रख सकेगा।

(२) जहाँ न्यायालय इस अध्यादेश के अधीन साहूकार को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराता है या उप-धारा (१) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड़ (क) या (ख) के अधीन आदेश देता है या घोषणा करता है तो, दोषसिद्धि की विशिष्टियों, आदेश या, यथास्थिति, घोषणा को, दोषसिद्ध साहूकार द्वारा या घोषणा से प्रभावित होनेवाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित समस्त लाईसेंसो को पृष्ठांकित करवायेगा और अपने आदेश या घोषणा की प्रतिलिपियाँ उस जिला रजिस्ट्रार को रजिस्टर में ऐसी विशिष्टियाँ प्रविष्ट करने के प्रयोजनार्थ भिजवायेगा जिसके द्वारा लाइसेंस अनुदत्त किये गये थे ।

(३) उप-धारा (२) के अनुसार न्यायालय द्वारा पृष्ठांकन के लिए आवश्यक कोई लाइसेंस उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीत्या और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा जिसके द्वारा वह धारण किया गया है, जैसा न्यायालय निदेश दे और कोई व्यक्ति जो, युक्तियुक्त कारण के बिना, इस प्रकार अपेक्षित लाइसेंस प्रस्तुत करने में चूक करता है तो दोषसिद्धि पर, उस अवधि के दौरान जिसमें चूक की जा रही है प्रत्येक दिन के लिए, एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का दायी होगा।

(४) इस धारा के अधीन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी न्यायालय द्वारा अपील या पुनरीक्षण में किया जायेगा।

लाइसेंस के निलंबन या रद्दकरण के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

२०. जहाँ इस अध्यादेश के अधीन कोई लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाता है वहाँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतिकर या किसी लाइसेंस फीस या निरीक्षण फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा।

लाइसेंस के निलंबन या रद्दकरण की अवधि के दौरान साहूकारी करने से व्यक्तियों को विवर्जित किया जायेगा।

२१. ऐसा व्यक्ति जिसका लाइसेंस इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसरण में निलंबित या रद्द किया गया है तो निलंबन या, यथास्थिति, रद्दकरण की अवधि के दौरान, राज्य में साहूकारी का कारेबार करने के लिए निरर्ह होगा।

वह व्यक्ति जिसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया गया है लाइसेंस के पृष्ठांकन या निरर्हता की विशिष्टियाँ दिये बिना आवेदन नहीं करेगा।

२२. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका लाइसेंस धारा १९ के अधीन पृष्ठांकित किया गया है या जो लाइसेंस धारण करने से निरर्हित किया गया है वह ऐसा पृष्ठांकन या निरर्हता की विशिष्टियाँ दिये बिना, लाइसेंस के लिये आवेदन नही करेगा या लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नही होगा।

वचनपत्र, बंधपत्र आदि., का तथ्यपूर्ण होना।

२३. कोई भी साहूकार, कर्ज का दिनांक और रकम उल्लिखित किये बिना, ऐसा कोई वचनपत्र, अभिस्वीकृति, बंधपत्र या अन्य लिखत नहीं लेगा जिसमें कर्ज की वास्तविक रकम दर्शायी नहीं गयी है या जिसमें ऐसी रकम गलत दर्शायी गयी है या ऐसी कोई लिखत निष्पादित की गयी है जिसमें निष्पादन के बाद भरे जाने के लिये निरंक रखा गया है।

लेखा बनाए रखने और उसकी प्रतियाँ देने का साहूकार का कर्तव्य।

२४. (१) प्रत्येक साहूकार, ऐसे प्ररुप में और रीत्या जैसा कि विहित किया जाये, एक रोकड़ बही और एक खाता-बही रखेगा और बनाए रखेगा ।

(२) प्रत्येक साहूकार,—

(क) (एक) ऋणी को, कर्ज दिये जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर किसी मान्यताप्राप्त भाषा में स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप में कर्ज की रकम और दिनांक और उसकी पूर्णता, कर्ज के लिए प्रतिभूति का स्वरूप, यदि कोई हो, ऋणी और साहूकार का नाम और पता और प्रभारित ब्याज की दर दर्शाते हुए एक विवरणपत्र देगा या दिलवायेगा :

परन्तु, यदि साहूकार ऋणी को ऐसी पासबुक की आपूर्ति करता है जो विहित प्ररूप में होगा और जिसमें ऋणी से किए गये संव्यवहार का अद्यतन लेखा बनाए रखा होगा तो ऐसा कोई विवरणपत्र उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी ;

(दो) सहायक रजिस्ट्रार को, उप खंड (एक) में निर्दिष्ट विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट विवरणपत्र उक्त अवधि के भीतर देगा या दिलवायेगा ;

(ख) किसी कर्ज के पूर्ण प्रतिसंदाय पर, ऋणी द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक कागज पर कर्ज की अदायगी या रद्दकरण दर्शानेवाले स्थायी शब्द अंकित करेगा और कर्ज के लिए प्रतिभूति के रूप में ऋणी द्वारा दिया गया प्रत्येक बंधकपत्र मुक्त करेगा, प्रत्येक गिरवी लौटायेगा, प्रत्येक नोट वापस करेगा और दिया गया प्रत्येक समनुदेशन रद्द या पुनःसमनुदेशित करेगा ।

(३) उप-धारा (२) के खंड (क) के उप-खंड (दो) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट साहूकार के ऐसे वर्ग को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी प्रत्येक अवधि के दौरान दिये गये सभी कर्जों के संबंध में उप-धारा (२) के खण्ड (क) के उप-खंड (एक) में निर्दिष्ट विवरणवाला एक विवरणपत्र सहायक रजिस्ट्रार को देने या दिलवाने की व्यवस्था करने की अनुमति दे सकेगी ; और ऐसे आदेश के जारी होने पर, इस उप-धारा में यथा उपबंधित नियतकालिक विवरणपत्र प्रदान करना चुननेवाले साहूकार, ऐसी प्रत्येक अवधि के अवसान के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर उसे देगा या दिलवायेगा ।

(४) कोई साहूकार, किसी कर्ज के बारे में ऋणी को ऐसी अदायगी के लिए स्पष्ट और पूर्ण रसीद दिये बिना उससे कोई अदायगी प्राप्त नहीं करेगा ।

(५) कोई भी साहूकार, कर्ज के लिए ऋणी से पणयम, गिरवी या प्रतिभूति के रूप में कोई वस्तु उसके लिए, ऐसी रसीद पर वस्तु का वर्णन, अनुमानित मूल्य, उसके बदले अग्रिम दी गई कर्ज की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों सहित जैसा कि विहित किया जाए, सुस्पष्ट हस्ताक्षरित रसीद दिये बिना स्वीकार नहीं करेगा । साहूकार, अलग रजिस्टर में ऐसी प्राप्तियों की दूसरी प्रतिलिपि याँ बनाए रखेगा ।

साहूकार द्वारा लेखा विवरणपत्र और उसकी प्रतियाँ देना।

२५. (१) प्रत्येक साहूकार, प्रत्येक वर्ष अपने प्रत्येक ऋणी को, ऐसे ऋणी के समक्ष बकाये की किसी रकम का, साहूकार या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे ऋणी का सुपाठ्य लेखा विवरण देगा या दिलवायेगा । विवरण पत्र में,--

(एक) वर्ष के प्रारम्भ में साहूकार, को देय मूल रकम, ब्याज की रकम और धारा २६ में अलग से निर्दिष्ट फीस की रकम ;

(दो) वर्ष के दौरान अग्रिम दिए गए कर्ज की कुल रकम ;

(तीन) वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिसंदाय की कुल रकम ; और

(चार) वर्ष की समाप्ति पर देय मूल रकम और ब्याज की रकम दर्शायी जायेगी ।

विवरणपत्र साहूकार या उसके एजन्ट द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और किसी मान्यताप्राप्त भाषा में दिया जायेगा । वह, ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसे दिनांक को या के पूर्व ऋणी को दिया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए :

परन्तु, यदि ऋणी को साहूकार द्वारा ऐसी पासबुक की आपूर्ति की जाती है जो विहित प्ररूप में होगी और जिसमें ऋणी के संव्यवहार का अद्यतन लेखा बनाए रखा गया हो तो ऐसा विवरणपत्र उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

साहूकार, खंड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट विवरणपत्र उपर्युक्त दिनांक को या के पूर्व सहायक रजिस्ट्रार को देगा या दिलवायेगा ।

(२) किसी विशिष्ट कर्ज के संबंध में, साहूकार, उस अवधि के दौरान किसी भी समय जब कर्ज या उसके किसी भाग की पुन:अदायगी नहीं की गई है, ऋणी द्वारा लिखित मांग करने पर और विहित फीस की अदायगी पर, ऋणी को या यदि ऋणी इस प्रकार अपेक्षा करे, मांग में उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, किसी मान्यताप्राप्त भाषा में और उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट सुसंगत विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट साहूकार या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित एक विवरण पत्र ऋणी द्वारा आवेदन करने के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर देगा।

(३) साहूकार, ऋणी द्वारा लिखित में मांग करने पर और खर्च की विहित राशि देने पर, ऋणी को अपने द्वारा दिये गये किसी कर्ज या उसकी किसी प्रतिभूति से संबंधित किसी दस्तावेज की एक प्रतिलिपि की आपूर्ति करेगा या यदि ऋणी ऐसी अपेक्षा करे तो उस निमित्त मांग में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को आपूर्ति करेगा।

(४) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "वर्ष" का तात्पर्य, उस वर्ष से है जिसके साहूकार ने साधारणत: अपनी बहियो में लेखा बनाए रखा है।

ऋणी और सहायक रजिस्ट्रार को आपूर्ति किये गये कतिपय विवरणपत्रों के लिए फीस।

२६. (१) साहूकार, धारा २४ की उप-धारा (२) या धारा २५ की उप-धारा (१) के अधीन ऋणी को विवरणपत्र या किसी पासबुक की आपूर्ति करने के लिए उससे और उक्त उप-धारा के अधीन सहायक रजिस्ट्रार को आपूर्ति किये ऐसे विवरणपत्र की प्रतिलिपियों के संबंध में या धारा २४ की उप-धारा (३) के अधीन उसको आपूर्ति किये गये विवरणपत्र की प्रतिलिपियों के संबंध में फीस वसूल कर सकेगा।

(२) ऐसी फीस प्रति ऋणी प्रति वर्ष अधिकतम दो रुपये के अध्यधीन ऐसी दर से और ऐसी रीत्या जैसा की विहित किया जाए सुसंगत वर्ष के दौरान ऋणी या सहायक रजिस्ट्रार को आपूर्ति किये गये विवरणपत्र या उसकी प्रतिलिपियों की संख्या का विचार किये बिना, वसूल की जायेगी।

लेखाओं की शुद्धता स्वीकार करने के लिए ऋणी बाध्य नहीं होगा।

२७. कोई ऋणी जिसे धारा २४ के अधीन एक पासबुक प्रस्तुत की गई है या धारा २५ के अधीन लेखाओं के विवरणपत्र प्रस्तुत किया गया है उसकी शुद्धता अभिस्वीकृत करने या को इन्कार करने के लिये बाध्य नहीं होगा और ऐसा करने के लिए उसके असफल होने पर उसके द्वारा लेखाओं की शुद्धता ग्रहण की गई नहीं समझी जायेगी।

कर्ज संबंधी वाद में न्यायालय की कार्यवाही।

२८. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऋणी के विरुद्ध साहूकार द्वारा दायर किसी वाद में, जिसे यह अध्यादेश लागू होता है :—

(क) न्यायालय, गुणागुण पर दावे का विनिश्चय करने के पूर्व विवाद्यक की विरचना करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि धारा २४ और २५ के उपबंधों का अनुपालन साहूकार ने किया है या नहीं किया है ;

(ख) यदि न्यायालय यह पाता है कि साहूकार द्वारा धारा २४ या धारा २५ के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है, तो वह यदि वादी का दावा पूर्णत: या अंशत: सिद्ध हुआ है तो देय पाए गए संपूर्ण ब्याज या कोई अंश अस्वीकृत कर सकेगी जैसा मामले की परिस्थितियों में उसे उचित जान पडे ; और उसका खर्च अस्वीकृत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.— कोई साहूकार, जिसने विहित प्ररूप और रित्या में रसीद दी है या लेखा विवरणपत्र या पासबुक प्रस्तुत किया है, किसी भूल-चूक के बावजूद धारा २४ या, यथास्थिति, धारा २५ के उपबंधों का अनुपालन किया गया समझा जायेगा, यदि न्यायालय यह पाता है कि ऐसी भूल-चूक महत्वपूर्ण नहीं है या कपटपूर्वक नहीं की गई है।

कतिपय मामलों में वसूलीय ब्याज परिसीमित करने की न्यायालय की शक्ति।

२९. तत्समय प्रवृत्त किसी करार या किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय, किसी कर्ज के संबंध में चाहे वह इस अध्यादेश के प्रर्वतमान होने के दिनांक के पूर्व या के बाद अग्रिम दिया गया हो, ब्याज के फलस्वरूप डिक्री के दिनांक को देय मूल कर्ज से अधिक राशि की कोई डिक्री पारित नहीं करेगा।

डिक्रीत रकम की किस्तों में अदायगी के निदेश देने की न्यायालय की शक्ति।

३०. सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय, निर्णीत ऋणी के आवेदन करने पर, किसी भी समय, डिक्री धारक को सूचना देने के पश्चात्, निदेश दे सकेगा कि कर्ज के संबंध में चाहे इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के दिनांक के पूर्व या के पश्चात् उसके विरूद्ध पारित किसी डिक्री की रकम, निर्णीत ऋणी की परिस्थितियों और डिक्री की रकम को ध्यान में रखकर, इतनी किस्तों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन अदा की जायेगी और ऐसे दिनांक को देय होगी, जैसा वह उचित समझे। सन् १९०८ का ५।

ब्याज की दरों की सीमा।

३१. (१) राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर सुरक्षित कर्ज और असुरक्षित कर्ज के संबंध में साहूकार द्वारा प्रभारित की जानेवाली ब्याज की अधिकतम दर नियत कर सकेगी।

(२) कोई भी साहूकार किसी ऋणी या आशयित ऋणी से, अग्रिम या आशयित अग्रिम किसी कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कोई राशि या उप-धारा (१) के अधीन नियत दर से अधिक दर पर ब्याज के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं करेगा।

(३) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी साहूकार किसी ऋणी से, ब्याज के लेखे पर मूल कर्ज की रकम, से अधिक कोई राशि प्रभारित या वसूल नहीं करेगा चाहे वह इस अध्यादेश के प्रारम्भण से पूर्व या के पश्चात् अग्रिम दिया गया हो ।

(४) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, उप-धारा (१) के अधीन नियत अधिकतम दर से अधिक दरों पर ब्याज की अदायगी के लिये किसी साहूकार या किसी ऋणी के बीच किया गया करार और उप-धारा (२) और (३) के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई करार विधिमान्य नहीं होगा।

साहूकार द्वारा कर्ज पर खर्च के लिए प्रभार का प्रतिषेध।

३२. (१) कोई भी साहूकार, किसी ऋणी या आशयित ऋणी से, सम्पत्ति के हक की जाँच के युक्तियुक्त खर्च, स्टाम्प के खर्च, दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण और अन्य प्रायिक वास्तविक खर्च से अन्य कोई राशि, ऐसे मामले में प्राप्त नहीं करेगा जहाँ पक्षकारों के बीच हुए किसी करार में यह अनुबंध सम्मिलित है कि सम्पत्ति प्रतिभूति के रूप में दी जायेगी और जहाँ दोनों पक्षकार ऐसी खर्च के लिए और उसकी प्रतिपूर्ति के लिये लिखित में सहमत होते हैं या जहाँ ऐसे खर्च, प्रभार या व्यय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय है । सन् १८८२ का ४।

(२) उप-धारा (१) के उल्लंघन में किसी साहूकार द्वारा ऋणी या आशयित ऋणी से, उस उप-धारा में निर्दिष्ट खर्च, प्रभार या व्यय के फलस्वरूप प्राप्त कोई राशि ऋणी या, यथास्थिति, आशयित ऋणी को साहूकार से उससे देय होने वाले ऋण के रूप में वसूलीय होगी या ऋणी या आशयित ऋणी को दिए गए वास्तविक कर्ज की मुजराई के लिये दायी होगी ।

कर्ज का समनुदेशन।

३३. (१) जहाँ कोई कर्ज, इस अध्यादेश के प्रवर्तन के दिनांक से पूर्व या के पश्चात् अग्रिम में दिया गया है, या ऐसे कर्ज का कोई ब्याज या किसी करार का लाभ दिया गया है या ऐसे कर्ज के संबंध में प्रतिभूति की गई है या ब्याज किसी समनुदेशिती को समनुदेशित किया गया है, वहाँ समनुदेशक (चाहे वह ऐसा साहूकार हो जिसके द्वारा रकम उधार दी गई थी या ऐसा व्यक्ति है जिसे पहले ऋण समनुदेशित किया गया है) समनुदेशन किये जाने से पहले—

(क) समनुदेशिती को लिखित में सूचना देगा कि कर्ज, ब्याज, करार या प्रतिभूति इस अध्यादेश के प्रवर्तन से प्रभावित होगी ;

(ख) समनुदेशिती को इस अध्यादेश के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये उसे समर्थ बनाने के लिये आवश्यक सभी सूचना की आपूर्ति करेगा ; और

(ग) ऋणी को, समनुदेशिती का नाम और पता देते हुए, समनुदेशन की लिखित में सूचना देगा।

(२) उप-धारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने का दायी होगा, जिस पर उल्लंघन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

समनुदेशिती के रूप में अध्यादेश की प्रयुक्ति।

३४. (१) इसमें आगे उपबंधित के सिवाय, जहाँ इस अध्यादेश के प्रवर्तन के दिनांक से पूर्व या के पश्चात् साहूकार द्वारा उधार दी गई रकम या इस प्रकार उधार दी गई रकम पर ब्याज या किसी ऐसे ऋण या ब्याज के संबंध में किये गये किसी करार के लाभ या ली गई प्रतिभूति के संबंध में उसे देय होनेवाला कोई कर्ज समनुदेशित किया गया है वहाँ समनुदेशितीको साहूकार समझा जायेगा और इस अध्यादेश के सभी उपबंध, ऐसे समनुदेशिती को उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह साहूकार है।

(२) इस अध्यादेश या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी भी कारण से, ऐसा कोई समनुदेशन अवैध होता है और ऋणी ने इस प्रकार समनुदेशित किये गये किसी कर्ज के फलस्वरुप कोई रकम अदा की है या सम्पत्ति अन्तरित की है तो समनुदेशिती को ऐसी अदायगी या अन्तरण के संबंध में इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए, साहूकार का एजेन्ट समझा जायेगा।

संव्यवहार फिर से शुरु करना।

३५. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, ऐसे किसी वाद में जिसे यह अध्यादेश लागू होता है, साहूकार और ऋणी के बीच वाद चाहे सुनवाई **एकतरफ़ा** या अन्यथा हुई हो तो,—

(क) पक्षकारों के बीच पहले किया गया कोई संव्यवहार पुन: शुरू करेगा या कोई लेखा पुन:खोलेगा;

(ख) पक्षकारों के बीच के लेखे लेगा ;

(ग) किसी अत्याधिक ब्याज के संबंध में ऋणी पर प्रभारित रकम घटायेगा ;

(घ) यदि हिसाब करने पर यह पाता है कि साहूकार ने, उसे देय होनेवाली रकम से अधिक रकम प्राप्त की है तो ऐसी रकम के संबंध में ऋणी के पक्ष में डिक्री पारित करेगा :

परन्तु, इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय,—

(एक) पहले के संव्यवहारों को बंद करने के लिए तात्पर्यित कोई समझौता या करार, पुन:नही खोलेगा और नवीन बाध्यतायें सृजित नहीं करेगा जो पक्षकारों या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिसके जरिए वे उस वाद के दिनांक से, जिसे यह अध्यादेश लागू होता है, छह वर्षें के बाद तक दावा करेंगे।

(दो) ऐसी कोई बात नहीं करेगा जो न्यायालय की किसी डिक्री को प्रभावित करती है।

स्पष्टीकरण:----इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "अत्याधिक ब्याज" का तात्पर्य, ऐसी दर पर लिये गये ब्याज से है जो धारा ३१ के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है ।

देय रकम का लेखा रखने और घोषित करने के लिये जाँच।

३६. (१) कोई भी ऋणी, चाहे कर्ज देय हो या न हो साहूकार को देय होनेवाली रकम की गणना करने और घोषित करने के लिये, न्यायालय को किसी भी समयपर आवेदन कर सकेगा । ऐसा आवेदन विहित प्ररुप में और विहित फीस के साथ किया जायेगा।

(२) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर न्यायालय, आवेदन की एक सूचना साहूकार को दिलवायेगा ।

(३) आवेदन की सुनवाई के लिये नियत दिनांक को या ऐसे दिनांक को, जब सुनवाई समय-समय पर स्थगित की जाए तो न्यायालय जाँच करेगा और पक्षकारों के बीच हुए संव्यवहार को ध्यान में रखने के बाद, मूल रकम और ब्याज यदि कोई हो, के संबंध में, साहूकार को ऋणी द्वारा उस समय भी देय होनेवाली, रकम, यदि कोई हो, घोषित करने का आदेश देगा। इस धारा के अधीन ध्यान में रखने में न्यायालय धारा २४ से ३५ और धारा ५३ के उपबंधों का पालन करेगा।

साहूकार को देय राशि न्यायालय में जमा करना।

३७. (१) मूल रकम, ब्याज या दोनों के रूप में कर्ज के संबंध में साहूकार को ऋणी से देय रकम की कोई राशि साहूकार वह, किसी भी समय दे सकेगा।

(२) यदि साहूकार इस प्रकार दी गई कोई राशि स्वीकार करने से इन्कार करता है तो ऋणी, उक्त राशि न्यायालय के पास साहूकार के लेखे में जमा कर सकेगा।

(३) न्यायालय, तत्पश्चात् साहूकार पर निक्षेप की लिखित सूचना तामील करवायेगा और वह, कर्ज के संबंध में तब देय राशि दर्शाकर और उक्त राशि स्वीकार करने की अपनी रजामंदी दर्शाते हुए याचिका प्रस्तुत करने पर उसे प्राप्त करेगा और प्रथम ब्याज के प्रति विनियोजित करेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, मूल रकम के प्रति विनियोजित करेगा।

(४) जब साहूकार राशि स्वीकृत नहीं करता है तब न्यायालय उक्त रकम प्रथम ब्याज के प्रति विनियोजित करेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, मूल रकम के प्रति विनियोजित करेगा।

ब्याज की गणना।

३८. पक्षकारों के बीच हुए किसी करार या तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब धारा २४ के अधीन पास-बुक की आपूर्ति की गई है या धारा २५ के अधीन किसी ऋणी को विवरणपत्र प्रदान किया गया या यदि धारा ३६ के अधीन लेखा दिया जाता है या कॅलेंडर महीने के किसी भी दिन धारा ३७ के अधीन कर्ज के संबंध में साहूकार को ऋणी द्वारा टेंडर दिया जाता है तो देय ब्याज, उस तथ्य के बावजूद कि ऐसा विवरण कैलेंडर महीने के किसी दिन प्रदान किया या पासबुक की आपूर्ति की गई है या ऐसा लेखा दिया गया है, पुनः अदायगी के वास्तविक दिनांक तक देय परिकलित किया जायेगा।

वैध लाईसेंस के बिना साहूकारी करने के लिए शास्ति।

३९. जो कोई भी, वैध लाईसेंस प्राप्त किये बिना साहूकारी का कारोबार करता है तो दोषसिद्धि पर, पॉच वर्षों तक के किसी भी प्रकार के कारावास से या पचास हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

मिथ्या विवरण देने के लिए शास्ति।

४०. जो कोई भी, लाईसेंस अनुदत्त करने या लाईसेंस नवीकरण करने के लिये किसी आवेदन में या इस अध्यादेश के किन्हीं उपबंधों द्वारा या के प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी दस्तावेज में किसी महत्त्वपूर्ण विशिष्टियों में यह जानते हुए कि वह गलत है, जानबूझकर कोई विवरण देता है, तो दोषसिद्धि पर, दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास से या पच्चीस हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

फर्जी नाम से लाईसेंस प्राप्त करना, लाईसेंस में उल्लेख न किये गए स्थान पर साहूकारी करना, आदि।

४१. जो कोई भी,—

(क) ऐसे नाम से जो उसका सही नाम नहीं है लाईसेंस प्राप्त करता है या इस प्रकार प्राप्त लाईसेंस के अधीन साहूकारी का कारोबार करता है, या

(ख) ऐसे किसी स्थान पर जिसका उल्लेख ऐसा कारोबार करने के लिए उसे प्राधिकृत करनेवाले लाईसेंस में नहीं है, साहूकारी करता है, या

(ग) वैध लाईसेंस के बिना या ऐसे नाम से जो उसका सही नाम नहीं है प्राप्त लाईसेंस के अधीन साहूकारी के कारोबार के दौरान कोई करार करता है, तो दोषसिद्धि पर,—

(एक) प्रथम अपराध के लिए, एक वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास से या पंद्रह हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा, और

(दो) दूसरे और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, खंड (एक) में विनिर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त या के बदले में, जहाँ ऐसा व्यक्ति कोई कम्पनी नहीं है तो किसी भी प्रकार के कारावास से जो, पाँच वर्षों से कम नहीं होगा और जहाँ ऐसा व्यक्ति कोई कम्पनी है, वहाँ ऐसे जुर्माने से जो, पचास हजार रुपयों से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।

वचनपत्र, बंधपत्र आदि में गलत प्रविष्टि के लिये शास्ति।

४२. जो कोई भी, धारा २३ के उपबंधों का उल्लंघन करता है दोषसिद्धि पर, पच्चीस हजार रुपयों तक के जुर्माने से या तीन वर्षों तक के किसी भी प्रकार के कारावास से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा २४ या २५ के उल्लंघन के लिए शास्ति।

४३. जो कोई भी, धारा २४ या २५ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, पच्चीस हजार रुपयों तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा ३१ के उल्लंघन में ब्याज की दर प्रभारित करने के लिए शास्ति।

४४. जो कोई भी, धारा ३१ के उल्लंघन में ब्याज प्रभारित या वसूल करता है तो दोषसिद्धि पर, यदि वह प्रथम अपराध है तो पच्चीस हजार रुपयों तक के जुर्माने से और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पचास हजार रुपयों तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

उत्पीड़न के लिये शास्ति।

४५. (१) जो कोई भी, लेनदार को ऋण द्वारा देय किसी ऋण की वसूली के लिये उसका उत्पीड़न करता है या उसे उत्पीड़त करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो दोषसिद्धि पर, दो वर्षों तक के किसी भी प्रकार के कारावास से या पांच हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति जो, अन्य व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने से जिसे करने का उसे अधिकार है या ऐसा कोई कृत्य करने से जिसे प्रविरत करने का उसे अधिकार है, प्रविरत करने के आशय से,—

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति को बाधित करता है या बल प्रयोग का उपयोग करता है या अभित्रस्त करता है, या

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार पिछा करता है या उसके स्वामित्त्व की या उसके द्वारा उपयोग की जानेवाली किसी सम्पत्ति में बाधा डालता है या उसका उपयोग करने से उसे वंचित करता है या प्रतिबाधित करता है, या

(ग) किसी मकान या अन्य स्थान के पास जहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति निवास करता है या कार्य करता है या कारोबार करता है, आवारगी करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति को परेशान या भयभीत करने के लिए ऐसा कार्य करवाता या करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति को उत्पीडित किया गया समझा जायेगा।

शास्तियों संबंधी सामान्य उपबंध।

४६. जो कोई भी, इस अध्यादेश के किसी उपबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, या के उल्लंघन मे कोई कार्य करता है, यदि इस अध्यादेश में कोई विनिर्दिष्ट शास्तियों का उपबंध नहीं किया गया है तो,—

(क) प्रथम अपराध के लिये एक वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास से या पच्चीस हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा ; और

(ख) दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिये, दो वर्षों तक के किसी भी प्रकार के कारावास से या दस हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

निगमों आदि द्वारा अपराध।

४७. यदि इस अध्यादेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति अविभक्त हिन्दू परिवार या कोई कम्पनी या कोई अनिगमित निकाय है तो ऐसे परिवार, कम्पनी या निकाय के कारोबार के प्रबंध के लिये जिम्मेवार व्यक्ति ऐसे उल्लंघन के लिए दोषी समझा जायेगा।

कतिपय अपराध संज्ञेय होंगे।

सन् १९७४ का २।

४८. दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) धारा ४ के उपबंधों के उल्लंघन के लिये धारा ३९ और ४१, और

(ख) धारा २३ के उपबंधों के उल्लंघन के लिए धारा ४२, और

(ग) उत्पीड़न के लिए धारा ४५ के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे।

कृषक ऋणी के विरुद्ध रकम के लिये डिक्री के निष्पादन में कोई गिरफ्तारी नहीं की जायेगी और कारावास नहीं दिया जायेगा।

४९. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऋणी जो व्यक्तिगत रूप से खेती करता है, और जिसका कर्ज पंद्रह हजार रुपयों से अधिक नहीं है इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के दिनांक के पूर्व या के बाद साहूकार के पक्ष में पारित कर्ज के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा या कारावास नहीं दिया जायेगा।

सन् १९४८ का बम्बई ६७।

स्पष्टीकरण.— " व्यक्तिगत रूप से खेती करना " का तात्पर्य, महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम की धारा २ के खंड (६) में या किसी तत्स्थानी अधिनियम में उसे समनुदेशित तात्पर्य से है।

प्रत्येक अधिकारी लोकसेवक होगा।

सन् १८६० का ४५।

५०. इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कार्य करनेवाला सरकार का प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जायेगा।

सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

५१. इस अध्यादेश के उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या करने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए साहूकार महा रजिस्ट्रार या किसी प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जायेंगी।

सन् १९४७ का बम्बई २८ के उपबंधों की व्यावृत्ति ।

५२. इस अध्यादेश की कोई भी बात महाराष्ट्र कृषि ऋणी राहत अधिनियम, के किन्हीं उपबंधों या उस अधिनियम के तत्स्थानी प्रवृत्त कृषि ऋणग्रस्तता की राहत संबंधी किसी अन्य विधि को प्रभावित नहीं करेगी और कोई भी न्यायालय इस अध्यादेश के अधीन किसी कर्ज से संबंधित, जिसके बाबत उक्त अधिनियम या, यथास्थिति, उक्त विधि के अधीन ऋण समायोजन कार्यवाही की जा सकती है, कोई वाद ग्रहण नहीं करेगा या कार्यवाही नहीं करेगा । सन् १९४७ का बम्बई २८ ।

राज्य सरकार की अपनी शक्तियों के प्रत्यायोजन की शक्ति। नियम।

५३. राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

५४. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्न सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे :—

(क) धारा ५ के अधीन लाईसेंस के लिए आवेदन करने, उसमें शामिल की जानेवाली अधिकतर विशिष्टियों का प्ररूप और लाईसेंस फीस की अदायगी की रकम और रीति ;

(ख) धारा ६ के अधीन लाईसेंस का प्ररूप और शर्ते और लाईसेंस फीस की अदायगी की रीति ;

(ग) धारा ७ के अधीन रजिस्टर का प्ररुप ;

(घ) किसी साहूकार के पास गिरवी रखी गई सम्पत्ति के लिए दावे आमंत्रित करने के लिए धारा १७ की उप-धारा (४) के अधीन सूचना प्रकाशित करने की रीति ;

(ङ) धारा २४ की उप-धारा (१) के अधीन रोकड़-बही और खाता-बही का प्ररूप और उसे बनाए रखने की रीति और उप-धारा (२) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली पासबुक का प्ररूप तथा उप धारा (५) के अधीन विहित की जानेवाली अन्य विशिष्टियाँ ;

(च) धारा २५ की उप-धारा (१) के अधीन लेखा विवरण तथा उप-धारा (३) के अधीन अदा किये जाने वाले खर्च की राशि ;

(छ) धारा २६ की उप-धारा (२) के अधीन अदा की जाने वाली फीस ;

(ज) धारा ३६ की उप-धारा (१) के अधीन आवेदन का प्ररूप और अदा की जानेवाली फीस ;

(झ) इस अध्यादेश के अधीन विहित किया गया या विहित किये जा सकनेवाला कोई अन्य मामला या कोई मामला जिसके लिए इस अध्यादेश में कोई उपबंध या पर्याप्त उपबंध नहीं है और जिनके लिए राज्य सरकार की राय में इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना आवश्यक है ;

(ञ) यह उपबंध करना कि किसी भी नियम का उल्लंघन अपराध होगा तथा ऐसी रकम से अनधिक रकम के जुर्माने से दण्ड़नीय होगा, जैसा कि विहित किया जाये ।

(३) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के बाद, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हों या दोंनो सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये, और उस प्रभाव का अपना विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं तो नियम **राजपत्र** में ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा, या यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले कृत या किये जाने से छोडी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

कठिनाई निराकरण की शक्ति।

५५. (१) यदि, इस अध्यादेश के उपबंन्धो को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर प्रोदभूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अध्यादेश के उपबंधो से अन् असंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो ।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बन जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् १९४७ का बम्बई ३१ ।

५६. (१) बम्बई साहूकार अधिनियम, १९४६, एतदद्वारा, निरसित किया जाता है। सन् १९४७ का बम्बई ३१ का निरसन और व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी लाईसेंस समेत) इस अध्यादेश के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

वक्तव्य ।

साहूकारों के हाथों किसान-ऋणीयों का उत्पीड़न होने के परिणामस्वरुप किसानों द्वारा लगातार आत्महत्या करने के मामले पर गंभीरता से सोचना पड़ रहा है । साहूकारों द्वारा किसान-ऋणीयों का होनेवाला उत्पीड़न रोकने के लिए साहूकारी पर विद्यमान अधिनियमिति अर्थात् बम्बई साहूकार अधिनियम, १९४६ (सन् १९४७ का बम्बई ३१) अत्यधिक अपर्याप्त पाया गया है । किसानों की आत्महत्याओं के कारणों का पता लगाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें **अन्य बातों के साथ-साथ** इस बात की और ध्यान आकर्षित किया है कि साहूकारों द्वारा किया जानेवाला उत्पीड़न ऐसी आत्महत्याओं का एक मुख्य कारण है । साहूकारों के हाथों किसान-ऋणीयों का होनेवाला उत्पीड़न प्रभावी रूप से रोकने की दृष्टि से, विद्यमान बम्बई साहूकार अधिनियम, १९४६ (सन् १९४७ का ३१) के निरसन द्वारा राज्य में साहूकारी संव्यवहारों को विनियमित करने के लिए एक नई विधि बनाना सरकार के लिए इष्टकर समझा गया है ।

२. तद्नुसार, महाराष्ट्र साहूकार (विनियम) विधेयक, २०१० (सन् २०१० का विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९) प्रस्तुत किया गया था और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था । उक्त विधेयक इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय मंत्रालय के केंद्रीय गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था और वह माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के लिए विचाराधीन है । केंद्रीय वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) ने गृह मंत्रालय के ज़रिए उक्त विधेयक के परिभाषा खंड के संबंध में कतिपय सुझाव दिये थे जो पूरक उपबंध करते है कि उक्त विधेयक के उपबंध भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ के अधीन विनियमित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनीयाँ और भारतीय रिजर्व बैंक साथ ही बैंककारी, विनियम अधिनियम, १९४९ के अधीन विनियमित सहकारी संस्थाओं और सहकारी बैंक, साथ ही साथ प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, १९७६ के अधीन विनियमित प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को भी लागू नहीं होंगे । स्पष्ट रूप से किसी संस्थाएँ, केंद्रीय सूची के अधीन बनाये गये केंद्रीय विधी द्वारा शासित की जाती है । तथापि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संस्थित, ऐसे पूरक उपबंध सम्मिलित किये गये है । अतः इस अध्यादेश के प्रख्यापन द्वारा तुरंत प्रभाव से ऐसा विधि प्रवृत्त करना इष्टकर समझा गया है ।

३. क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है; जिनके उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए विधि बनाना आवश्यक है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

मुंबई,
दिनांकित १६ जनवरी २०१४।

के. शंकरनारायणन्,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

राजगोपाल देवरा,
शासन के सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद)

ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.